पत्रांक................/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड

–:आदेश:–
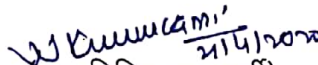
आदेश सं0– 267/HS रॉंची, दिनांक :– 21.04.2020

ज्ञात हो कि तम्बाकू एवं सुपारी का सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र–तत्र थूकने की होती है, जिससे कई गम्भीर बीमारियाँ यथा कोरोना (COVID-19), इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रबल रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा "कोरोना वायरस (COVID-19)" को विश्व व्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है, जिसका संक्रमण छुने, छिंकने, खाँसने, थूकने आदि से होता है।

उक्त के आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(I) में प्रदत शक्तियों के आधार पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या– 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 15 अप्रैल 2020, Nation Directives for COVID -19 Management, Annexure -1 कंडिका 5 "Spitting in Public Spaces shall be punishable with fine" के आलोक में **राज्य अन्तर्गत, आगामी आदेश तक, सभी सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं परिसर तथा अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा व सुपारी के साथ ही साथ हुक्का, E- हुक्का, E- Cigarettes आदि किसी भी नाम से इस्तेमाल होने वाले तम्बाकू पदार्थ (Smoking एवं Smokeless) इत्यादि का उपयोग एवं बिक्रय (आनलाइन विक्रय सहित) को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।**

उपरोक्त आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में, गृह मंत्रालय के उक्त आदेश के साथ संलग्न सुसंगत धाराओं, यथा– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा– 51 से 60 एवं IPC, 1860 की धारा– 188 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जायेगी।
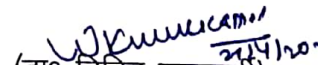
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डा0 नितिन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–.........267/HS रॉंची, दिनांक– 21.04.2020

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राज्य के e-Gazette में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

(डा0 नितिन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी (e-Gazette) स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेशित है कि आदेश/अधिसूचना को झारखण्ड राज्य के e-Gazette में प्रकाशित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(डा0 नितिन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—267/HS रॉंची, दिनांक— 21.04.2020

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि आम जनमानस में इसकी जानकारी हेतू झारखण्ड अंतर्गत प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक समाचार पत्रों में इस आदेश/अधिसूचना का प्रकाशन लगातार तीन दिनों तक किया जाय।

(डा0 नितिन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—267/HS रॉंची, दिनांक— 21.04.2020

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/वरीय पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर एवं रॉंची/सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)/सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉंची/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रॉंची/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची/मुख्य आयकर आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची/आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, झारखण्ड, रॉंची/कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) झारखण्ड/मंडल रेल प्रबंधक, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा0 नितिन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—267/HS रॉंची, दिनांक— 21.04.2020

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 नितिन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव